सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

आर. राजेश
निदेशक
R. Rajesh
Director
TEL.: 011-23344933
FAX: 011-23364197

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
E-mail : r.rajesh@nic.in, mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

फा.सं.सी/72/2012-एमपीलैड्स **12 मार्च, 2013**

सेवा में,

आयुक्त,
नगर निगम कोलकाता/दिल्ली/चेन्नई
जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों में आशोधन - प्राकृतिक आपदाओं से सम्बंधित अतिरिक्त प्रावधान ।

महोदय/महोदया,

लोकसभा समिति ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में प्राकृतिक आपदाओं के लिए एमपीलैड्स निधियों के प्रावधान संबंधी सिफारिशें की थीं । रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच की गई है तथा एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल करने का निर्णय लिया गया है :-

2.7.1 नोडल विभाग एमपीलैड्स निधियों की प्रतिबद्धता की एक माह की अवधि के भीतर पुनर्वास कार्य अभिज्ञात करेगा तथा पुनर्वास कार्य, कार्यों की स्वीकृति के 8 माह के भीतर संबंधित जिला अधिकारी द्वारा पूरे किए जाने चाहिए । यदि कार्यों को पूरा करने में और अधिक समय अपेक्षित हो, नोडल विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सहयोग से कार्यों को ऐसे अतिरिक्त समय की अनुमति दे सकता है, जो कार्यों को पूरा करने के लिए वांछनीय हो ।

2.8.1 नोडल विभाग एमपीलैड्स निधियों की प्रतिबद्धता की एक माह की अवधि के भीतर पुनर्वास कार्य अभिज्ञात करेगा तथा पुनर्वास कार्य कार्यों की स्वीकृति के 8 माह के भीतर संबंधित जिला अधिकारी द्वारा पूरे किए जाने चाहिए । यदि कार्यों को पूरा करने में और अधिक समय अपेक्षित हो, नोडल विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सहयोग से कार्यों को पूर्ण करने के लिए और अधिक समय की अनुमति दे सकता है ।

6.2 (viii) मंत्रालय प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास हेतु प्रदान की गई एमपीलैड्स निधियों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करेगा तथा एमपीलैड्स कार्यों को समय पर निष्पादित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाएगा ।

6.2 (ix) मंत्रालय प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास हेतु प्रदान की गई एमपीलैड्स निधियों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की किसी तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी करा सकता है ।

6.3 (xi) राज्य स्तरीय निगरानी समिति प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास कार्यों के निष्पादन हेतु प्रदान की गई एमपीलैड्स निधियों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की विशेष रूप से समीक्षा करेगी ।

6.4 (x) राज्य में नोडल विभाग सांसदों द्वारा अंशदान की गई एमपीलैड्स निधियों की निगरानी करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पुनर्वास कार्यों के निष्पादन के लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा निधियों का समय पर उपयोग किया जा रहा है । नोडल विभाग विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जिलों में पुनर्वास कार्यों को करने के लिए एमपीलैड्स निधियों के उपयोग पर मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा ।

2. इन अनुदेशों का एमपीलैड स्कीम के कार्यान्वयन में कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए ।

3. इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के माननीय मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

आर. राजेश

(आर.राजेश)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. सचिव, नोडल विभाग, एमपीलैड्स से संबंधित, (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।